सत्यमेव जयते

न्यायालय सहायक कलेक्टर /उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट रेलमगरा, जिला–र

प्रकरण : संख्या – 195/16 शीर्षक ..... बनाम .....

दिनांक	कार्यवाही प्रकरण
19/2/20	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अग्रि. उप. अग्रि. वादी ने कार्यालय का पत्र पेश करते हुए अंतिम अवसर चाहा। पूर्व में पर्याप्त अवसर दिये गये। अगली पेशी पर अवसर न देकर एवं वादिगण के कार्यवाही अबंद समझी जावे। पत्रावली दिनांक 4/3/20 को पेश हो।
4/3/20	पत्रावली पेश हुई। अग्रि. प्रतिवादी उप. वादी एवं वादी के अधिवक्ता अनुपस्थित। बार-बार अवसर दिया गया अगली अंतिम तिथि कोई उपयुक्त नहीं। अतः पेशी के अभाव में वादीगण का अग्रिम पेशी अग्रिम वादी में अधिकार दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नस्ल ले कम कि जावे।